"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मई 2013—वैशाख 11, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक फा. क्र. 1-1/2003/3523/21-ब/छ. ग./13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न 16 (सोलह) सिविल-जिलों में, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का न्यायालय दिनांक 17 जून 2013 से स्थापित करता है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	4	6	8
2.	बिलासपुर	12	9	16
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	2	4	5
4.	धमतरी	1	3	3
5.	दुर्ग	11	10	19
6.	जांजगीर-चांपा	5	5	8
7.	जशपुर	2	3	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	1	3	2
9.	कोरबा	3	3	4
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	2	4	3
11.	महासमुंद	2	4	3
12.	रायगढ़	6	4	6
13.	रायपुर	15	12	24
14.	राजनांदगांव	3	5	6
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	11	7	11
16.	उत्तर बस्तर कांकेर	2	3	2

Raipur, the 30th April 2013

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/3523/21-B/13.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications, the State Government, hereby establishes, with effect from the 17th June 2013 Courts of Additional District Judge, Civil Judge Class-I and Civil Judge Class-II in the following 16 (Sixteen) Civil Districts of the State as specified against each Civil District in the Schedule below :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts		
		Additional District Judges	Civil Judges Class-I	Civil Judges Class-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bastar (Jagdalpur)	4	6	8
2.	Bilaspur	12	9	16
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	2	4	5
4.	Dhamtari	1	3	3
5.	Durg	11	10	19
6.	Janjgir-Champa	5	5	8
7.	Jashpur	2	3	3
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	1	3	2
9.	Korba	3	3	4
10.	Koria (Baikunthpur)	2	4	3
11.	Mahasamund	2	4	3
12.	Raigarh	6	4	6
13.	Raipur	15	12	24
14.	Rajnandgaon	3	5	6
15.	Sarguja (Ambikapur)	11	7	11
16.	Uttar Bastar (Kanker)	2	3	2

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.